महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(नैक द्वारा 'ए' ग्रेड प्रमाणित)

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

गांधी हिल्स, वर्धा-442001 (महाराष्ट्र)

website: hindivishwa.org

विद्या-परिषद की 23वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक	:	23 जून, 2015 (मंगलवार)
समय	:	पूर्वाह्न 11:00 बजे
स्थान	:	सभाकक्ष, भाषा विद्यापीठ विश्वविद्यालय परिसर, वर्धा

बिरसा मुंडा छात्रावास

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

विद्या–परिषद की 23वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 23 जून, 2015 (मंगलवार)
समय : पूर्वाह्न 11:00 बजे
स्थान : सभाकक्ष, भाषा विद्यापीठ
विश्वविद्यालय परिसर, वर्धा

◈◈ विषयसूची ◈◈

मद सं.	विवरण	पृष्ठ
1	विद्या–परिषद की पिछली (22वीं) बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि	3
2	22वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई	
3	सूचनार्थ बिंदु	
•	विभिन्न विभागों में अध्यक्ष की नियुक्ति	
•	पी–एच.डी. शोधार्थियों को प्रदत्त प्रोविजनल उपाधि	
•	छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर शिक्षण व्यवस्था को उन्नत बनाना	
4	विदेशी विद्यार्थियों हेतु शुल्क का पुनर्निर्धारण	
5	कुलपति की अध्यक्षता में संकायाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों/केंद्र निदेशकों के साथ संपन्न बैठकों के कार्यवृत्त का अनुमोदन	4
6	क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता में 'सरल हिंदी शिक्षण में डिप्लोमा' तथा 'सरल बांग्ला शिक्षण में डिप्लोमा' पाठ्यक्रमों का सत्र 2015–16 से संचालन	
7	क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता में 'पूर्वोत्तर सांस्कृतिक अध्ययन' तथा 'दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन' में एम.फिल. पाठ्यक्रमों का अगले सत्र से संचालन	
8	अध्यादेश–48 एवं अध्यादेश–49 में संशोधन	
9	एडजंक्ट फैकल्टी की नियुक्ति	5
10	दूर शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत अधिकृत अध्ययन केंद्र के तौर पर मान्यता	
11	शिक्षा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की दूसरी बैठक का कार्यवृत्त	
12	अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ के प्रस्तावों का अनुमोदन	
13	भाषा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की दिनांक 20.06.2015 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त	
14	मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की तीसरी बैठक का कार्यवृत्त	
15	संस्कृति विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 11वीं बैठक का कार्यवृत्त	
16	हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग के अध्ययन मंडल की दिनांक 18.06.2015 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त	

	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय	
17	सृजन विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की दिनांक 22.06.2015 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त	6
18	पी–एच.डी. अध्यादेश (No.45/2009) में आंशिक संशोधन	
19	दूर शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत डीसीए, पीजीडीसीए तथा एमए हिंदी पाठ्यक्रमों को सत्र 2015–16 से शुरू करने का अनुमोदन	
20	छात्र प्रतिनिधि से प्राप्त प्रस्ताव	
21	ई–पुस्तकालय	7
22	विज्ञान और प्रौद्योगिकी अध्ययन के नए विद्यापीठों की स्थापना	

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

विद्या–परिषद की 23वीं बैठक का कार्यवृत्त

यह बैठक माननीय कुलपति की अध्यक्षता में 23 जून, 2015 (मंगलवार) को पूर्वाह्न 11:00 बजे सभाकक्ष, भाषा विद्यापीठ में आयोजित हुई, जिसमें निम्नलिखित उपस्थित थे :

1.	प्रो. गिरीश्वर मिश्र	कुलपति (अध्यक्ष)
2.	प्रो. हनुमान प्रसाद शुक्ल	सदस्य
3.	प्रो. कृष्ण कुमार सिंह	सदस्य
4.	प्रो. एल. कारूण्याकरा	सदस्य
5.	प्रो. अनिल कुमार राय	सदस्य
6.	प्रो. मनोज कुमार	सदस्य
7.	प्रो. अरबिंद कुमार झा	सदस्य
8.	प्रो. सुरेश शर्मा	सदस्य
9.	प्रो. विजय कुमार कौल	सदस्य
10.	प्रो. देवराज	सदस्य
11.	प्रो. सूरज प्रसाद पालीवाल	सदस्य
12.	डॉ. नृपेन्द्र प्रसाद मोदी	सदस्य
13.	डॉ. फरहद मलिक	सदस्य
14.	डॉ. कृपाशंकर चौबे	सदस्य
15.	श्री जगदीप सिंह दांगी	सदस्य
16.	डॉ. रविंद्र तु. बोरकर	सदस्य
17.	डॉ. सुरजीत कुमार सिंह	सदस्य
18.	डॉ. मनोज कुमार राय	सदस्य
19.	डॉ. धूपनाथ प्रसाद	सदस्य
20.	डॉ. राजीव रंजन राय	सदस्य
21.	डॉ. सुप्रिया पाठक	सदस्य
22.	डॉ. रवि कुमार	सदस्य
23.	डॉ. मैत्रेयी घोष	सदस्य
24.	प्रो. दिविक रमेश	सदस्य
25.	श्री लीलाधर मंडलोई	सदस्य
26.	श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह	छात्र प्रतिनिधि
27.	श्री अनिल फरसोले	पूर्व छात्र
28.	डॉ. शोभा पालीवाल	विशेष आमंत्रित
29.	डॉ. अरुण प्रताप सिंह	विशेष आमंत्रित
30.	श्री संजय बी. गवई	कार्यकारी कुलसचिव (पदेन सचिव)

निम्नांकित सदस्यों ने विभिन्न कारणों से बैठक में उपस्थित न हो पाने की सूचना दी :

- प्रो. चित्तरंजन मिश्र
- प्रो. अशोक कुमार श्रीवास्तव
- प्रो. रंजना अरगड़े
- प्रो. संतोष भदौरिया
- प्रो. शंभू गुप्त
- सुश्री अर्चना थूल

निम्नांकित सदस्यों की ओर से बैठक में उपस्थित न हो पाने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई :

- डॉ. अन्नपूर्णा सी.
- सुश्री खुमन्थेम जीतेश्वरी

बैठक का प्रारंभ कुलसचिव द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों के स्वागत से हुआ। तदुपरांत कुलपति ने दिनांक 14.03.2015 को संपन्न बैठक से अब तक विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण अकादमिक गतिविधियों तथा प्रगति से सदस्यों को अवगत कराया तथा नए सत्र में नई योजनाओं, महत्वाकांक्षाओं और प्रतिबद्धताओं के साथ विकास के प्रति आश्वस्त किया।

विद्या–परिषद अवगत हुई कि –

- विश्वविद्यालय के अनुवाद, शिक्षा, मनोविज्ञान एवं स्त्री अध्ययन विभागों में कई राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन हुआ, जिनमें राष्ट्रीय स्तर के विद्वानों ने भाग लिया। निकट भविष्य में क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता में पूर्वोत्तर की सामाजिक–आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे।
- यूजीसी के निर्देश पर विश्वविद्यालय द्वारा 6 राज्यों के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं कुलसचिवों के साथ सीबीसीएस पाठ्यक्रम के लिए मुंबई विश्वविद्यालय में संगोष्ठी का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। विश्वविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रमों को सीबीसीएस के आधार पर तैयार कर अध्ययन मंडल तथा स्कूल बोर्ड के माध्यम से विद्या–परिषद के समक्ष बैठक में प्रस्तुत किया गया है, जो वर्तमान सत्र से लागू होंगे।
- ई–पीजी पाठशाला यूजीसी की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा एम.ए. हिंदी के आठ प्रश्नपत्रों की पाठ्य–सामग्री तैयार की जा रही है।
- सामुदायिक विद्यालय की स्थापना हेतु यूजीसी को प्रस्ताव भेजा गया, जिसके तहत औपचारिक शिक्षा से वंचित लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी।
- बी–वोक के अंतर्गत 'फिल्म निर्माण' तथा 'अभिनय एवं मंच विन्यास' स्नातक स्तरीय नए पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं।
- विश्वविद्यालय द्वारा भव्य ऑडिटोरियम के निर्माण की योजना है। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को टैगोर कल्चरल योजनान्तर्गत संस्कृति मत्रालय की स्वीकृति प्राप्त हो गई है।
- यूजीसी को हिंदी विभाग के उन्नयन के लिए प्रस्ताव भेजा गया है।
- आईसीएसएसआर के सहयोग से शोधार्थियों/शिक्षकों के लिए शोध प्रशिक्षण की कार्यशाला की गई।
- एनसीटीई द्वारा बदले गए नियमों के अनुसार 2 वर्षीय बी–एड. पाठ्यक्रम आरंभ करने की अनुमति मिली, जिसे क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत नियमित पाठ्यक्रम में 50 सीटें तथा दूर शिक्षा माध्यम से 500 सीटें निर्धारित की गई हैं।
- विश्वविद्यालय के दूर शिक्षा निदेशालय को पुनः व्यवस्थित किया जा रहा है। विज्ञापन के बाद विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त आवेदनों की छंटनी की गई तथा मानक पूर्ण करने वाले संस्थानों/महाविद्यालयों के निरीक्षणोपरांत 3 वर्ष के लिए दूर शिक्षा द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों (बी–एड. छोड़कर) के अध्ययन केंद्र के रूप में अस्थाई मान्यता प्रदान की गई। नोट किया गया कि बी–एड. के लिए शर्त थी कि जिस संस्था/महाविद्यालय में पहले से एनसीटीई के दिशा–निर्देशों के अनुसार बी–एड. चल रहा है, वहीं दूर शिक्षा माध्यम से बी–एड. की अनुमति दी जाए।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पं. मदन मोहन मालवीय शिक्षा मिशन योजनान्तर्गत टीचिंग लर्निंग सेंटर फॉर हिंदी स्टडीज (TLCHS) हिंदी माध्यम से विकसित किए जाने का प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा गया है।
- Massive Open Online Courses (MOOCs) के तहत प्रस्ताव तैयार कर मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा गया है।
- विवेकानंद, अरबिंदो एवं डॉ. अंबेडकर आदि भारतीय चिंतकों के विचार सभी पाठ्यक्रमों में एक पेपर के रूप में अध्ययन के लिए अनिवार्य किया गया है। इसके लिए गठित समिति द्वारा अध्ययन सामग्री चिन्हित कर ली गई है तथा वर्तमान सत्र से इसे आरंभ किया जा रहा है।

- विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित 'वर्धा हिंदी शब्दकोश' का विश्लेषण, संशोधन एवं नए शब्दों को शामिल कर नया संस्करण तैयार किया जा रहा है जिसे शीघ्र प्रकाशित किया जाएगा।
- विश्वविद्यालय द्वारा 'भोजपुरी–हिंदी शब्दकोश' भी तैयार किया जा रहा है।

भोपाल में होने जा रहे 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में विश्वविद्यालय की प्रभावी भूमिका के लिए सभी के सुझाव आमंत्रित करते हुए कुलपति ने आशा व्यक्त की कि विश्वविद्यालय सबके सहयोग से नए सत्र में नई उपलब्धियों–आशाओं के साथ आगे बढ़ेगा।

तदुपरांत, कार्यसूची के अनुसार, बैठक की कार्यवाही आरंभ की गई। विचार–विमर्श के उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिए गए :

मद संख्या –1

विद्या–परिषद की पिछली (22वीं) बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि : प्रो. देवराज के दिनांक 26.03.2015 के पत्र के संदर्भ में कृत कार्रवाई के विवरण को नोट करते हुए कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

मद संख्या –2

22वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई : विद्या–परिषद ने विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई से सहमति व्यक्त की। माननीय सदस्य श्री लीलाधर मंडलोई ने कार्यवृत्त की प्रस्तुति में सुधार हेतु बधाई दी और कहा कि यह अच्छा होगा यदि 'की गई कार्रवाई' में परिणाम, बाधाएँ और उपलब्धि का स्पष्टता के साथ उल्लेख किया जाए।

क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता से प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरांत ***'हिंदी तथा पूर्वोत्तर भाषा व संस्कृति विभाग (पूर्वाशा)'*** को संस्कृति विद्यापीठ के अंतर्गत रखे जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या –3

सूचनार्थ बिंदु : कार्यसूची में मद में उल्लिखित निम्नांकित बिंदुओं को नोट किया गया :

- विभिन्न विभागों में अध्यक्ष की नियुक्ति
- पी–एच.डी. शोधार्थियों को प्रदत्त प्रोविजनल उपाधि
- छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर शिक्षण व्यवस्था को उन्नत बनाने के संदर्भ में कुलपति द्वारा यह सूचित किया गया कि आई.क्यू.ए.सी. की प्रक्रिया के अनुरूप तथा यू.जी.सी. के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में छात्रों से प्राप्त फीडबैक और विश्लेषण के आधार पर अध्यापकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था को उन्नत और अध्यापन को प्रभावी बनाए जाने का प्रयास इस सत्र से आरंभ किया गया है। इस प्रयास का स्वागत करते हुए यह निश्चय किया गया कि फीडबैक का उपयोग शैक्षणिक उन्नति के लिए होगा और उसका प्रमुख उद्देश्य अध्ययन–अध्यापन को अधिक प्रभावी बनाना होगा। इस हेतु प्रत्येक अध्यापक को व्यक्तिगत रूप से गोपनीय रूप से फीडबैक दिया जाना उपयोगी होगा।

मद संख्या –4

विदेशी विद्यार्थियों हेतु शुल्क का पुनर्निर्धारण : विदेशी विद्यार्थियों के लिए अकादमिक सत्र 2015–16 से निर्धारित किए गए शुल्क 238USD को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

मद संख्या –5

कुलपति की अध्यक्षता में संकायाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों/केंद्र निदेशकों के साथ संपन्न बैठकों के कार्यवृत्त का अनुमोदन : दिनांक 15.04.2015, 21.04.2015, 22.04.2015 तथा 16.06.2015 को सम्पन्न संकायाध्यक्षों / विभागाध्यक्षों / केंद्र निदेशकों की बैठकों में विश्वविद्यालय की अकादमिक गतिविधियों के संदर्भ में लिए गए निर्णयों का अनुमोदन किया गया।

पाठ्यक्रमों के शुल्क में की गई वृद्धि के संदर्भ में छात्रों की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए दो छात्र/शोधार्थी प्रतिनिधियों – श्री प्रकाश सिंह (हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग) तथा सुश्री आरती कुमारी (स्त्री अध्ययन विभाग) को छात्रों द्वारा नामित किया गया था। उक्त मद पर चर्चा से पूर्व बैठक में दोनों प्रतिनिधियों का भी पक्ष जाना गया एवं उनकी उपस्थिति में ही विस्तृत विचार–विमर्श के उपरांत सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए गए :

1. पी–एच.डी. पाठ्यक्रमों हेतु परीक्षा शुल्क रु.3,000/– के स्थान पर रु.2,500/– और बी–एड. पाठ्यक्रम हेतु कुल शुल्क राशि रु.20,125/– लिया जाएगा तथा विद्या–परिषद द्वारा 22वीं बैठक में शेष अन्य पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क ही लागू होंगे।
2. विवरणिका में वर्णित स्टूडियो, प्रयोगशाला, क्षेत्रीय कार्य, शैक्षणिक भ्रमण शुल्क के स्थान पर शैक्षणिक विभागाध्यक्ष विभाग के विद्यार्थियों के साथ परामर्श कर आवश्यकतानुसार शुल्क निर्धारण करेंगे।

मद संख्या –6

क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता में 'सरल हिंदी शिक्षण में डिप्लोमा' तथा 'सरल बांग्ला शिक्षण में डिप्लोमा' पाठ्यक्रमों का सत्र 2015–16 से संचालन : सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों को डिप्लोमा में परिवर्तित करने की अनुमति दी गई। साथ ही पाठ्यक्रमों के प्रारूप का अनुमोदन करते हुए सत्र 2015–16 से दोनों पाठ्यक्रमों को आरंभ किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु राशि रु.1,800/– शुल्क तय किया गया।

मद संख्या –7

क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता में 'पूर्वोत्तर सांस्कृतिक अध्ययन' तथा 'दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन' में एम.फिल. पाठ्यक्रमों का अगले सत्र से संचालन : एम.फिल. अगले सत्र से संचालित करने के प्रस्ताव तथा दोनों पाठ्यक्रमों के प्रस्तावित प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

मद संख्या –8

अध्यादेश–48 एवं अध्यादेश–49 में संशोधन : क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता से प्राप्त प्रस्ताव–1 पर विचारोपरांत संबंधित अध्यादेश के बिंदु संख्या–4 को निम्नानुसार परिवर्तित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई :

> This Centre will be headed by a Director or Incharge not below the rank of Associate Professor.

इसी भांति क्षेत्रीय केंद्र इलाहाबाद के अध्यादेश **क्रमांक–49** में भी संशोधन करने का निर्णय लिया गया।

क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता से प्राप्त प्रस्ताव के पैरा सं.–2 को स्वीकार नहीं किया गया।

मद संख्या –9

एडजंक्ट फैकल्टी की नियुक्ति : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंधित दिशा–निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय की अकादमिक आवश्यकताओं के मद्देनजर एडजंक्ट फैकल्टी की नियुक्ति हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

मद संख्या–10

दूर शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत अधिकृत अध्ययन केंद्र के तौर पर मान्यता : दूर शिक्षा निदेशालय के दिनांक 22.06.2015 के पत्रांक:10/SC/DDE/2014 में क्रम संख्या 15 से 19 के अंतर्गत 5 संस्थानों/महाविद्यालयों तथा इस मद में सूचित 14 संस्थानों/महाविद्यालयों को अधिकृत अध्ययन केंद्र *(Authorized Learning Centre)* के रुप में 3 वर्ष के लिए अस्थाई मान्यता दिए जाने के निर्णय को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

मीडिया, प्रबंधन तथा फिल्म अध्ययन के पाठ्यक्रम संचालन हेतु संयुक्त पायलट प्रोजेक्ट बनाने तथा आरंभ में उसे विश्वविद्यालय के इलाहाबाद एवं कोलकाता स्थित क्षेत्रीय केंद्रों में आरंभ करने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या –11

शिक्षा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की दूसरी बैठक का कार्यवृत्त : दिनांक 18.06.2015 को संपन्न बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

मद संख्या –12

अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ के प्रस्तावों का अनुमोदन : अनुमोदन किया गया।

मद संख्या –13

भाषा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की दिनांक 20.06.2015 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त : अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि चूंकि श्री जगदीप सिंह दांगी बतौर सह–निर्देशक शोधार्थियों के शोध का सह–निर्देशन पहले से ही कर रहे हैं तथा स्कूल बोर्ड ने उन्हें शोध निर्देशक बनाने की संस्तुति की है, अतः इस संबंध में में आदेश जारी किया जाए।

मद संख्या –14

मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की तीसरी बैठक का कार्यवृत्त : दिनांक 19.06.2015 को संपन्न तीसरी बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

मद संख्या –15

संस्कृति विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 11वीं बैठक का कार्यवृत्त : दिनांक 19.06.2015 को संपन्न बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

मद संख्या –16

हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग के अध्ययन मंडल की दिनांक 18.06.2015 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त : अनुमोदन किया गया।

मद संख्या –17

मानविकी विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की दिनांक 22.06.2015 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त : अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय

कार्यसूची के समस्त विषयों पर निर्णयोपरांत अध्यक्ष की अनुमति से निम्नांकित प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए :

मद संख्या –18

पी-एच.डी. अध्यादेश (No.45/2009) में आंशिक संशोधन : विस्तृत विचार–विमर्श के उपरांत पी–एच.डी. अध्यादेश (No.45/2009) में निम्नांकित परिवर्तन/अंश जोड़ने का निर्णय लिया गया :

1. तकनीकी एवं व्यावहारिक कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए पीएच.डी. हेतु पूर्व प्रस्तुति सेमिनार में बाह्य/आंतरिक विशेषज्ञ कुलपति द्वारा नामित किए जाएँगे। इस अवसर पर विभाग के सभी संकाय सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। तदनुसार अध्यादेश के पैरा–11.2 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई।

2. अध्यादेश के पैरा–10.1 में जोड़ा जाए कि "शोधार्थी को प्रवेश के बाद प्रत्येक 4 माह की अवधि होने पर एक विस्तृत प्रगति रिपोर्ट विभाग में प्रस्तुत करनी होगी।"

3. पैरा–2.1 में जोड़ा जाए कि "पी–एच.डी. का अध्ययन नए परीक्षा मानक के अनुरूप कुल 120 क्रेडिट का होगा।"

4. पैरा–2.1 में उल्लिखित M.Phil/NET/JRF/SLAT/SET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश की लिखित परीक्षा से छूट का प्रावधान अध्यादेश से निरस्त किया जाता है।

5. पैरा–4.1 में जोड़ा जाए कि "अध्ययन मंडल शोध विषय की अपेक्षा की दृष्टि से आवश्यकतानुसार को–सुपरवाइजर की नियुक्ति की संस्तुति करेगा।"

मद संख्या –19

दूर शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत डीसीए, पीजीडीसीए तथा एमए हिंदी पाठ्यक्रमों को सत्र 2015-16 से शुरू करने का अनुमोदन : प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद संख्या –20

छात्र प्रतिनिधि से प्राप्त प्रस्ताव : छात्र प्रतिनिधि, श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने विद्या–परिषद की 22वीं बैठक के निर्णयानुसार विद्यार्थियों के मुद्दों पर कार्रवाई न होने का उल्लेख किया। उन्हें संबंधित आवश्यक मुद्दों हेतु कुलपति से मिलकर चर्चा करने के लिए कहा गया।

उनके इस आग्रह पर कि JRF/RGNMF/MANF के शोधार्थियों को यूजीसी एचआरए का भुगतान करती है। विश्वविद्यालय उनके लिए बाहर किराए से छात्रावास की व्यवस्था करे, पर निर्णय लिया गया कि इस तरह की व्यवस्था बाहर किराए पर करना संभव नहीं है। विश्वविद्यालय के भगत सिंह छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर तथा संसाधनों की उपलब्धता के बाद ही इस पर विचार किया जाएगा।

मद संख्या –21 प्र

ई–पुस्तकालय : विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में स्थानाभाव तथा तकनीक के बढ़ते उपयोग के मद्देनजर पुस्तकालयाध्यक्ष के सुझाव पर विश्वविद्यालय के समस्त अध्यापकों को ई–पब्लिकेशन के लिए प्रेरित करने तथा संकायाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों/केंद्र निदेशकों द्वारा भविष्य में यथासंभव ई–पुस्तकें मंगवाने एवं इस हेतु विवरण पुस्तकालय में भिजवाए जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या –22 प्र

विज्ञान और प्रौद्योगिकी अध्ययन के नए विद्यापीठों की स्थापना : विश्वविद्यालय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अध्ययन के दो नए विद्यापीठों का प्रस्ताव तैयार करने के लिए बाह्य विशेषज्ञों को नामित कर प्रस्ताव तैयार करने के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया।

डॉ. दिविक रमेश ने विश्वविद्यालयों की बढ़ती अकादमिक गतिविधियों, विशेष रूप से विद्यार्थियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर अध्ययन–अध्यापन के लिए उठाए गए कदम की सराहना की। उनके द्वारा यह सुझाव दिया गया कि विदेशी साहित्य, विशेषतः एशियाई लोक–कथाओं और संस्कृति के अनुवाद को हिंदी में उपलब्ध करवाया जाए तथा विश्वविद्यालय का अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ इसमें महती भूमिका अदा कर सकता है। माननीय कुलपति ने उनके प्रस्ताव का स्वागत करते हुए यह सुझाव दिया कि इसी भांति हिंदी भाषा में उपलब्ध सामग्री को भी विदेशी भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध करवाने की कोशिश की जाए।

बैठक की समाप्ति पदेन सचिव द्वारा माननीय अध्यक्ष एवं समस्त उपस्थित सदस्यों के प्रति कृतज्ञता–ज्ञापन से हुई।

(प्रो. चित्तरंजन मिश्र)
कुलसचिव एवं पदेन सचिव
म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा